न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़,

पीठासिन अधिकारी– चन्द्रशेखर, भण्डारी (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 3355/2016 प्रार्थना पत्र
60ए/2022

1. किरण पत्नी राकेश चौरडिया जैन आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)।
2. राकेश कुमार पिता हस्तीमल जी चौरडिया जैन आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)।
3. सुनीता पत्नी पारसमल जी जाति जैन आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)।
4. पारसमल पिता सागरमल साण्ड जैन आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)।

.........प्रार्थीगण

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)। ....विपक्षी

निर्णय धारा 136 एल0आर0 एक्ट,

मु0 नं0 60ए/2022 प्रा0पत्र

निर्णय दि0 :– 18/5/22

उपस्थिति :– **प्रार्थी अधिवक्ता विशाल कुमावत**
विपक्षी पेरोकार सरकार स्वयं।

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है प्रार्थीगण की खातेदारी की वाके मौजा धीनवा पटवार हल्का जावदा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 43 की आराजी नम्बर 64/640 रकबा 0.38 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 1 किरण व प्रार्थी संख्या 3 सुनीता के नाम पर दर्ज रिकार्ड है, खाता संख्या 44 की आराजी नम्बर 62 रकबा 0.6300 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 1 के नाम पर दर्ज रिकार्ड है, खाता संख्या 261 की आराजी नम्बर 63 रकबा 0.6300 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है, खाता संख्या 188 की आराजी नम्बर 65 रकबा 3.4500 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 66 रकबा 0.3400 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 2 व 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त सभी आराजीयात आपस में मिली होकर एक चक है और प्रार्थीगण ने अपने स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त आराजीयात पर पक्की पत्थरों की करीब 8–8 फीट उंची बाउण्ड्री बना रखी है और मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु उक्त समस्त आराजीयात के दक्षिण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौ...)

में गलत तरीके से आराजी नम्बर 52 व आराजी नम्बर 54 को राजस्व नक्शे में पैमूद कर दिया है, प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 65 व 66 से आराजी नम्बर 50, 51, 53 आपस में मिली हुई है, उसके बाद सड़क है तथा राजस्व नक्शे में जहां आराजी नम्बर 62 को दर्शा रखा है वहां नगरपालिका आबादी है एवं राजस्व नक्शे में जहां आराजी नम्बर 52 को दर्शा रखा है वहां कई वर्षो से भू प्रबंध लागू होने के पूर्व से प्रार्थीगणों का आधिपत्य चला आ रहा है परन्तु पुराने नक्शे में तरमीम नहीं होने से भू प्रबंध कर्मचारियों की गलती की वजह से उक्त आराजी नम्बर 52 व 54 को नवीन राजस्व नक्शे में गलत तरीके से दर्शा दिया है जिस कारण प्रार्थीगण की राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में अंकन कर दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, उक्त सभी तथ्यों की अभी हाल ही में जानकारी दिनांक 322. 05.2016 को राजस्व कर्मचारियों से नकल लेने पर हुई, जिस कारण यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे स्वीकार कर प्रार्थी के कब्जे अनुसार एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के हक हिस्से अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज अनुसार अंकन कर दुरूस्त किया जावें प्रस्तुत किया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा को नोटिस जारी कर जवाब मय मौका रिपोर्ट तलब किया गया, जिस पर विपक्षी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.05.2022 में बताया कि ग्राम धीनवा की आराजी नम्बर 54 रकबा 0.27 हैक्टेयर तक रास्ता दर्ज था, उसी जगह नवीन सड़क बनी हुई है जो निम्बाहेड़ा से उदयपुर जाती है, वर्तमान में आराजी नम्बर 220 का भाग होकर रास्ते के रूप में दर्ज है, आराजी नम्बर 54 भी आराजी नम्बर 220 से जुडी होकर पूरब से पश्चिम की तरफ आराजी नम्बर 51 की सीमा तक आने के बाद आराजी नम्बर 51 की पश्चिमी मेड से उत्तर की तरफ बढती हुई आराजी नम्बर 51 के उत्तरी कौने से पूरब से पश्चिम आराजी नम्बर 50 की उत्तरी दिशा से होता हुआ पुनः राजस्व नक्शे में दर्ज अनुसार आराजी नम्बर 54 के शेष भाग से मिलता है जिसको संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, आराजी नम्बर 702/65, 66 एवं 51 व 53 के मध्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है सभी आराजीयात आपस में एक चक होकर पत्थर की 8-8 फीट उंची पक्की दिवार बनी हुई है, वहीं आराजी नम्बर 52 रकबा 0.64 हैक्टेयर नगरपालिका निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज है प्रार्थी के कथनानुसार एवं मौका स्थिति अनुसार नक्शे में आराजी नम्बर 62 की जगह आराजी नम्बर 52 को गलत दर्शा दिया है, प्रार्थीगणों का आधिपत्य जहां नक्शे आराजी नम्बर 62 दर्शा रखी है वहां नहीं होकर आराजी नम्बर 52 जहां राजस्व नक्शे में स्थित है वहां है, जिसके दक्षिण में प्रार्थीगणों की दिवार होकर फाटक लगी हुई है साथ ही संलग्न प्रस्तावित नक्शा प्रस्तुत किया।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई, जिन्होनें अपनी बहस में उपर वर्णित सभी कथनों को दौहराया एवं आवेदन पत्र स्वीकार करने बाबत् निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अध्यन किया गया। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के साथ गत भू प्रबंध का प्रमाणित नक्शा प्रस्तुत किया है जिसमें कहीं भी तरमीम नहीं है, जिस कारण भू प्रबंध कर्मिकों से उक्त त्रुटि होना प्रतीत होता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। ग्राम धीनवा की प्रश्नगत आराजी के राजस्व रेकार्ड में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते हैं–

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्ठी			प्रस्तावित संशोधन		
	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार
1	54	0.27	गे.मु. रास्ता	54 में से	0.12 0.14 0.01	किरण / राजेश जैन गे.मु. रास्ता गे.मु. आबादी
2	52	0.64	गे.मु. आबादी	52 में से	0.13 0.51	गे.मु. रास्ता किरण / राजेश
3	62	0.63	किरण / राजेश जैन निवासी निम्बाहेड़ा	62 में से	0.63	गे.मु. आबादी

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 18/5/22 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा